



## निदेशालय

# ॥ गृह रक्षा, राजस्थान ॥

जलेब चौक, जयपुर।

फोन : - 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : [sso1rajhg@hotmail.com](mailto:sso1rajhg@hotmail.com)

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक: गृमु/स्था/ई-1 (13-2) 2021/ 31474      दिनांक: 18-11-2021

### मुख्य आरक्षी (आर्मरर) भर्ती हेतु विज्ञाप्ति

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के भाग-4 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में मुख्य आरक्षी (आर्मरर) के 06 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों के ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र, CSC (Common Service Centre) एवम् विभाग की वेबसाईट पर विज्ञाप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की दिनांक 24.11.2021 से 15.12.2021 तक भरे जा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑन लाईन आवेदन करें।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/ परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

मुख्य आरक्षी (आर्मरर) अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रक्रिया (ओ.एम. आर. आधारित) से माह फरवरी – 2022 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/ वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना योग्यता एवम् पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण गृह रक्षा, मुख्यालय, के स्थाई आदेश क्रमांक: 07/2021/24160 दिनांक 10.09.2021 में वर्णित है, जो कि विभाग की वेबसाईट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर उपलब्ध है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

### 1. आवेदन प्रक्रिया

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑन लाईन "Online application form" लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है, तो वह [sso.rajasthan.gov.in](http://sso.rajasthan.gov.in) पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑन लाईन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना / होना आवश्यक होगा।

"Online application form" के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9352323625 / 7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- (ख) किसी भी आवेदक द्वारा "Online application form" निम्नानुसार भरा जा सकता है :—
- स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट <http://recruitment2.rajasthan.gov.in> पर आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।
  - राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर —
    - आवेदक : आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।
- (ग) हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आई.डी. एवम् मोबाइल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है।
- (ङ) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवम् हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20 kb – 50 kb) स्कैन हेतु ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावे।

**नोट :**

- (१) ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है वह राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021, विस्तृत विज्ञापन, स्थाई आदेश क्रमांक 07 / 2021 / 24160 दिनांक: 10.09.2021 (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) तथा ऑन लाईन ओवेदन करने एवम् परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवें एवम् ऑन लाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाएं कि सभी प्रविष्टियां सही एवम् पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (२) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (३) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (४) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक: (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र को Preview को Submit न मानें।
- (५) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। यह

ध्यान रखा जावे कि इन 15 दिवसों में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नहीं होगा।

- (6) आवेदक द्वारा Online आवेदन करने तथा तत्पश्चात त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार माना जाकर परीक्षा में समिलित नहीं किया जायेगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जायेगी।

## 2. परीक्षा शुल्क

(क) सामान्य/राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु – रुपये 500/-

(ख) आर्थिक पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के नॉन-क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)– रुपये 400/-

(कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प-8(3)कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार)

नोट-1-बिन्दु संख्या-ख से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

2. अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों द्वारा शुल्क रुपये 500/- देय होगा।

## 3. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश-पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त (download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिकूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail iD) एवम् मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जायेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

## 4. भर्ती हेतु रिक्त पद

गृह रक्षा, मुख्यालय, में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञापित जारी नहीं की जायेगी। सामान्य क्षेत्र के लिए मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

## मुख्य आरक्षी (आर्मारर) (सामान्य क्षेत्र)

विभाग रक्षा पूँड	सामान्य वर्ग			पुँड	एफ	ओ.बी.सी. वर्ग			पुँड	एफ	पुँड	एफ	पुँड	एफ								
	महिला					महिला																
	विवाह	विवाह	विवाह			विवाह	विवाह	विवाह														
-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	1	6	6	-	-								

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक: 19.05.2018 एवम् कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 13 (20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश-2018) में राज्य के जिला उदयपुर /चितोडगढ़/पाली/सिरौही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने/वढ़ाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग/एम.बी.सी. को आरक्षण देय नहीं है।

### 5. वेतनमान और पेंशन

नियुक्ति के उपरान्त 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/- रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुख्य आरक्षी (आर्मारर) पद की नियमित वेतन श्रृंखला L-5 (Pay matrix Level-5) वेतन एवम् नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले मुख्य आरक्षी (आर्मारर) के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक: 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

### 6. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

- (i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (iii) अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मुख्य आरक्षी (आर्मारर)

पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
मुख्य आरक्षी (आर्मारर)	थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सम्यक्रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व हवलदार या समतुल्य रैंक

#### (iv) आयु सीमा

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम 17 एवम् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(82)डी.ओ.पी./क-2/84 पार्ट दिनांक 25.06.2004 एवं एफ. 2 (1) डी.ओ.पी./क-2/03 दिनांक: 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी-2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जायेगी।

#### (v) मुख्य आरक्षी (आर्मारर) के लिए :

	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)		निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला	
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2002	02.01.1982	02.01.1982	

(vi) शारीरिक मापदण्ड :

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम 20 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र/ओ.बी.सी.		पहाड़ी जन जाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	140 से.मी.
न्यूनतम सीना	बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाये 79 से.मी. फुलाने पर 84 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं

नोट : पहाड़ी एवम् आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम 20 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।

(vii) चिकित्सकीय मापदण्ड :

- अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आंख) और N9 (बदतर आंख) होनी चाहिए अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूर दृष्टि 6x6 (बेहतर आंख) और 6x9 (बदतर आंख) होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवम् सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसे फूली हुई होना (varicose veins), भैगापन (squint), रत्तौंधी (night blindness), हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot), हरनिया (Hemia), शल्य प्रोबलम (surgical problems) या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

## 7. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

- कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां / पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। सिवाय जब तक कि सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।
- कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिवन्ध एकट-1961 में है। (सेन्ट्रल एकट-28 ऑफ-1961)

- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक: 01.06.2002 को या उसके पश्चात 02 से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा,

जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान वच्चों की संख्या में बढ़ौतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक वच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्यर्ती प्रसव से एक से अधिक वच्चे पैदा होते हैं, वहां वच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए वच्चों को एक ईकाई समझा जायेगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क-2/95 पार्ट-II  
दिनांक: 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

- (iv) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 6 (19) गृह-13/2006 दिनांक: 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
- (v) आयोग / भर्ती वोर्ड अथवा अन्य किसी संरक्षा द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित (debar) किये गये ऐसे आवेदक, जिनके वंचित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के रथाई आदेश क्रमांक: 07/2021/24160 दिनांक: 10.09.2021 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवम् गृह रक्षा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान होम गार्ड अधीनरथ सेवा नियम-2021 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होंगे।

## 8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया

मुख्य आरक्षी (आर्मरर) पद पर चयन राजस्थान होम गार्ड अधीनरथ सेवा नियम-2021 के नियम 30 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। परीक्षा के सभी चरणों हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :-

परीक्षा का चरण	मुख्य आरक्षी (आर्मरर)
लिखित परीक्षा	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	10
तकनीकी योग्यता	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होम गार्ड, कम्प्यूटर योग्यता) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	लागू नहीं
कुल	100

## 9. लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 75 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 02 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, प्राप्तांकों का विवरण एवम् प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी :-

लिखित परीक्षा का सिलेबस	प्रश्न	कुल अंक
विवेचना एवम् तार्किक योग्यता	30	30
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् समसामयिक विषयों पर	15	15
राजस्थान के इतिहास, सर्वकृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	30	30
योग	75	75

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत अंक, समग्र रूप में प्राप्त करना अनिवार्य है।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 05 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 5 (18) डी.ओ.पी./क-2/84/पार्ट-II दिनांक: 17.04.2018 के विन्दु संख्या-09 में वर्णित नियम-18 ए (i) के अनुसार देय होगा।

लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र सम्बन्धी आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के 05 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा, जिसकी सूचना एवम् परिणाम वेबसाईट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर देखी जा सकेगी एवम् गृह रक्षा, मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चर्चा की जायेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

## 10. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET)

विभाग की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के 05 गुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र, पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

मुख्य आरक्षी (आर्मर्स) के लिए

दौड़	समय	प्राप्तांक
5 किलो मीटर	30 मिनट	10

नोट :

- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुये भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया

जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए समिलित किये जायेंगे।

## 11. शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

**अपील :**

शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है, तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुये उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अपील की क्रियान्विति के लिये भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवम् चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन करायेगा, जिसमें एक फिजीशियन, एक सर्जन एवम् एक हड्डी विशेषज्ञ होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जायेगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट विडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा, जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

**नोट :-** अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

## 12. तकनीकी योग्यता परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवम् मापतौल में उत्तीर्ण मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) पद के अभ्यर्थियों हेतु तकनीकी परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो 15 अंकों की होगी। तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु समिलित किये जायेंगे।

क्र.सं.	विषय	अंक
1.	स्क्वाड ड्रिल (राईफल के बिना) (निजी सम्पादन एवम् अनुदेशन योग्यता)	05
2.	हथियार की मरम्मत, मेजिंग टेस्ट/एडजस्टमेन्ट एवम् पार्ट लगाना	10
	(i) हर तरह की राईफल	
	(ii) बेनेट एवम् स्केबर्ड	
	(iii) एल.एम.जी.	
	(iv) लकड़ी का काम	
	(v) फाईलिंग एवम् लोहे का काम	

(vi) रिपेयर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के नाम
(vii) जिरोयींग एवम् एक्यूरेसी टेरट (समरत हथियार के)
(viii) यूनिट आर्मोर के टूल्स एवम् गेजेज के नाम एवम् उसका इस्तेमाल
(ix) प्रिजरवेशन / रिग्राउनिंग
(x) ग्रीसींग

मुख्य आरक्षी (आर्मोर) पद के अभ्यर्थी की हथियारों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, हथियार के रख-रखाव सम्बन्धी परीक्षा ली जायेगी। तकनीकी परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अंकित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश क्रमांक: 07/2021/24160 दिनांक: 10.09.2021 में अंकित है।

### 13. चयन सूची

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा / मापतौल, एवम् तकनीकी परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता कम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क-2/99 दिनांक: 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जायेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात् यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है, परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

### 14. स्वास्थ्य परीक्षण

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

अपील : उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

### 15. प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के सेना की एन.ओ.सी./डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपर्युक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

### 16. प्रमाण पत्र

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवम् मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवम् उनकी स्व-प्रमाणित (Self Attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

- (i) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

- (iii) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवम् नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (iv) 02 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (v) एन.ओ.सी./डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेशनर प्रमाण पत्र।
- (vi) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5x3.5 से.मी.) रंगीन फोटो।

## 17. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) गृह रक्षा विभाग में भर्ती मुख्य आरक्षी (आर्मोरर) को राजस्थान के सीमान्त जिलों में पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (ii) गृह रक्षा विभाग में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त है, उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे।
- (iii) आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।
- (iv) निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।
- (v) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- (viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा।
- (x) अनुचित साधनों का उपयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (xi) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा, जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 16 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(xiii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुरिताकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच य परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जायेगा। परीक्षा के दौरान उत्तर पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा। गूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवम् नमूना प्रवेश पत्र राजरथान गृह रक्षा विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे।

(xiv) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित रथाई आदेश क्रमांक: 07 / 2021 / 24160 / दिनांक: 10.09.2021 एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(xv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 9352323625 / 7340557555 एवं ई—मेल [recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in](mailto:recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवम् गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है, फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Amendment) भी लागू होंगे।

८. —

(पी.रामजी)  
महानिरीक्षक पुलिस  
गृह रक्षा, राजस्थान  
जयपुर

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त सूचना एवम् जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल गृह रक्षा, राजरथान, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे गृह रक्षा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

९. —

महानिरीक्षक पुलिस  
गृह रक्षा, राजस्थान  
जयपुर